उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक : 18.10.2018

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज–2019 की घोषणा हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा 17 अक्टूबर, 2018 को कर दी गयी है। हज गाइडलाइन्स के अनुसार निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

1– हज आवेदन फार्म दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 से हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। प्ले स्टोर पर हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के एण्डरॉयड मोबाइल एप **"HAJ COMMITTEE OF INDIA"** पर आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। वेबसाइट पर हज आवेदन फार्म का प्रारुप भी उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड कर ऑफलाइन भी आवेदन किये जा सकेंगे। प्रारुप की फोटोकॉपी भी मान्य है।

2– ऑनलाइन भरे गये फार्मों का प्रिंटआउट संलग्न प्रपत्रों सहित वेरिफिकेशन हेतु उ0प्र0 राज्य हज समिति के कार्यालय 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ पर दस्ती अथवा डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। ऑफलाइन भरे गये फार्म भी संलग्न प्रपत्रों सहित उक्त पते पर अन्तिम तिथि दिनांक 17 नवम्बर, 2018 तक दस्ती/डाक से भेजे जा सकेंगे।

3– सामान्य श्रेणी हेतु फार्म में अंकित आवासीय पता एवं पासपोर्ट में अंकित पता समान होना चाहिए तथा पासपोर्ट की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति, यदि फार्म में अंकित पता पासपोर्ट में अंकित पते से भिन्न है तो स्वहस्ताक्षरित अन्य प्रपत्र में से एक जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, टेलिफोन बिल (लैण्डलाइन), पानी बिल, गैस कनेक्शन, इलेक्शन वोटर आई.डी., बैंक पासबुक, इंकमटैक्स असेस्मंट, आधार कार्ड, विभागीय फोटो आई.डी. किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी प्रपत्र जिसमें पता अंकित हो आदि लगाया जाना आवश्यक होगा। रिज़र्व श्रेणी में मूल पासपोर्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक होगा।

4– पासपोर्ट जारी होने की तिथि हज आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 17 नवम्बर, 2018 या उससे पूर्व की होना आवश्यक है। पासपोर्ट की वैद्यता 31 जनवरी, 2020 तक होना आवश्यक है अथवा इससे पूर्व न समाप्त हो रहा है। भारतीय पासपोर्ट मशीन रीडेबल (मशीन पठित) होना आवश्यक है। हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होंगे।

5– एक कवर में एक ही परिवार के अधिकतम पॉच एवं न्यूनतम एक व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। एक परिवार के पॉच से अधिक सदस्य होने पर दो अलग–अलग कवर बनाने होंगे। एक कवर में पॉच आवेदकों के साथ अधिकतम दो इंफेण्ट (बच्चे) भी हो सकते हैं।

6– आवेदन फार्म के साथ रु0 300/– प्रत्येक रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर ई–पेमेण्ट में जाकर जमा किया जा सकेगा व वेबसाइट पर उपलब्ध पे–इन–स्लिप डाउनलोड कर बैंक में जमा किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि स्टेट बैंक में हज कमेटी आफ इण्डिया का खाता संख्या 35398104789 **"HAJ PILGRIM PROCESSING FEE"** या यूनियन बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 318702010406010 **"HAJ PROCESSING FEE ACCOUNT"** में जमा करना होगा।

7– इंफेण्ट (**Infant**) जो 20 सितम्बर, 2019 तक दो वर्ष के हो रहे हों अथवा हज की अन्तिम वापसी उड़ान तक जो पहले हो, माने जाएंगे। इंफेण्ट का हवाई किराया चयन के बाद जो निर्धारित हो, जमा किया जाना होगा। दो वर्ष से अधिक की आयु के बच्चे को एक व्यस्क के बराबर धनराशि जमा करना होगा।

8– आवेदन फार्म के साथ बैंक खाते की कैन्सल्ड चेक की प्रति/बैंक पासबुक की छायाप्रति, एक कलर फोटो वहाइट बैकग्राउण्ड, निर्धारित प्रारुप पर घोषण पत्र, जमा शुल्क की पे–इन–स्लिप (मूल प्रति), पासपोर्ट की छायाप्रति (सभी छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित होंगी) जमा करना आवश्यक है।

9– रिज़र्व श्रेणी में ऐसे आवेदक जो पहले हज कमेटी या प्राइवेट टूर से हज पर नहीं गये हैं, जिनकी आयु 70 वर्ष 17 नवम्बर, 2018 को पूर्ण हो गयी हो अथवा जिनका जन्म 18 नवम्बर, 1948 को या उससे पूर्व हुआ हो, रिज़र्व श्रेणी में एक सहयोगी के साथ आवेदन कर सकते हैं। सहयोगी के रुप में केवल पति/पत्नी, भाई/बहन, लड़का/लड़की, पोता/पोती, नवासा/नवासी, दामाद/बहू, भांजा/भांजी, भतीजा/भतीजी मान्य हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई आवेदक अकेले रिज़र्व श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेगा।

10– आवासीय श्रेणी व अदाही (कुर्बानी) का चयन वैकल्पिक होगा, परन्तु एक बार चयन करने के उपरान्त इसमें परिवर्तन सम्भव न होगा।

11– बिना महरम के महिलाएं जिनकी आयु 45 वर्ष या इससे अधिक है जिनका कोई महरम नहीं है ऐसी चार महिलाएं या अधिकतम पॉच महिलाएं एक कवर में आवेदन कर सकती हैं। उन्हें **Ladies without Mehram** कैटेगरी में आवेदन करना होगा।

12– हज आवेदकों से अपील है कि अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाइन करें तथा प्रिंटआउट संलग्नकों सहित सचिव, उ0प्र0 राज्य हज समिति, 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001 को रजिस्टर्ड डाक से भेजें।

13– ऑनलाइन आवेदन हेतु फार्म भरने का तरीक़ा एवं हज–2019 हेतु गाइडलाइन्स वेबसाइट **www.hajcommittee.gov.in** पर दी गयी हैं जिसे पढने पर आवेदन करने में सुविधा होगी।

14– विदेश में नौकरी करने वाले, उमराह पर जाने वाले, एन.आर.आई, या जो व्यक्ति चिकित्सा कारणों से चयन होने के उपरान्त पासपोर्ट समय से जमा नहीं कर सकते हैं ऐसे आवेदकों हेतु पासपोर्ट जमा करने के समय में छूट दी जाती है, परन्तु उनको अपना पासपोर्ट इस्लामिक कैलेण्डर के अनुसार अधिकतम शव्वाल माह की दस तारीख तक जमा करना आवश्यक होगा जिसके लिए लिखित अनुरोध करना होगा एवं साक्ष्य के रुप में प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

15– रिपीटर केवल महिला आवेदक के महरम के रुप में एवं 70 वर्ष से अधिक के हज आवेदकों के सहयोगी के रुप में मान्य होगें जिन्हें रिपीटर हेतु निर्धारित हवाई किराया जमा करना होगा एवं आवेदन करते समय आवेदन फार्म में रिपीटर हेतु निर्धारित प्रारुप पर हलफनामा देना आवश्यक होगा। किसी भी समय यदि महिला आवेदक या 70 वर्ष से अधिक के हज आवेदक किन्हीं कारणों से अपना हज आवेदन निरस्त करते हैं तो सहयोगी का आवेदन भी स्वतः निरस्त हो जाएगा।

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य हज समिति